प्रेस नोट **07/03/2024**

आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शांति/सुरक्षा व्यवस्था के क्रम में आज दिनांक 07.03.2024 को थाना कोतवाली नगर में एडीएम मऊ श्री सत्यप्रिय सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री की अध्यक्षता में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित संभ्रान्त व्यक्तियों, विभिन्न धर्मो के गुरूओं/मौलवियों को शासन से प्राप्त आदेशों निर्देशों से अवगत कराया गया तथा आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर वार्तालाप किया गया तथा समस्याओं को सुना गया एवं आगमी त्यौहारों को शांतिपूर्वक, आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के वातावरण में मनाने की अपील की गयी।

साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि महत्वपूर्ण स्थलों आदि की निगरीनी ड्रोन कैमरे के माध्यम से की जाएगी। जनपद के लगभग सभी महत्वपूर्ण जगहो, चौराहों स्थलों पर पीटीजेड व आइपी कैमरे लगवाये गये है। जिसकी निगरानी सम्बन्धित थानों पर कम्यूटर भिज्ञ आरक्षी द्वारा जा रही है। साइबर थाना/सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी की जा रही है कोई भ्रामक खबर, आपत्तिजनक कमेन्ट करने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे किसी भी कमेन्ट आदि को फारवर्ड न करे तथा पुलिस को सूचित करें। अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एवं भारी संख्या में सम्भ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 07.03.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सुचना पर मु0अ0सं0 18/24 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण असलम पुत्र छोटक, सोनू पुत्र एकराम निवासीगण कन्धेरी मुगेंसर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध अभियुक्त 07-07 वर्ष के साधारण कारावास व ₹32000-32000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय एएसजे-प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 07-03-2024 को, मु0अ0सं0 418/2013 धारा 304,308,325,324,323,504,506 भादवि थाना रानीपुर में दोषसिद्ध अभियुक्तगण श्यामनरायण यादव पुत्र सरनाम यादव, श्री मती उमा यादव पत्नी

श्यामनरायण यादव निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07-07 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹32000-32000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुख्य अमित सेन सिंह थाना रानीपुर का सराहनीय योगदान रहा।